

नीलाम सूचना

जिला पंचायत, मेरठ की आम फसल बहार व खजूर के फंटों का नीलाम/टेका दिनांक 10.06.2020 को समय 11 बजे दिन में कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ कचहरी स्थित में जलसे आम नीलाम किया जायेगा। यदि उक्त दिनांक को नीलाम/टेका नहीं उठ पाता है तो पुनः दिनांक 15.06.2020 को नियत समय, स्थान पर ही नीलाम किया जायेगा। नीलाम की शेष शरायत कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। नीलाम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा में छोड़ा जायेगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नियत दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलाम का लाभ उठाये, यदि उक्त दिनाकों को कोई नीलाम नहीं हो पाता है तो अवकाश के दिनों को छोड़कर नीलाम होने तक प्रत्येक बुधवार को किया जायेगा।

क्र०सं०	खजूर के फंटों व आम फसल बहार का विवरण	जमानत राशि	अवधि
1	काली नदी के मील नं० 1 से 10, 20 व 26 एवं मवाना फलावदा सडक के कुछ भाग पर खडे खजूर के फंटों एवं काली नदी के मील 10,11,15 व 18 तथा मवाना फलावदा सडक के कुछ भाग आदि पर खडे आम के पेड़ों की फसल बहार।	2000.00	1वर्ष

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पत्राक-189/110 पं० 2020 नीलाम/टेका 2020-2021

दिनांक-4-06-2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत, मेरठ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्याधिकारी जिला पंचायत, मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना को जनपद मेरठ की वेबसाईट <http://meerut.nic.in> पर डाउन लोड/अंकित कराने का कष्ट करें।
4. अभियन्ता/वी०पी०डी०/कर अधिकारी जिला पंचायत, मेरठ को उपरोक्तनुसार नीलामों को उक्त दिनांकों को सम्पन्न कराने हेतु।
5. समस्त तहसीलदार, जनपद मेरठ को अपने-2 नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त विकास खण्ड अधिकारी जनपद मेरठ को अपने-2 नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
7. सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानों पर खडे आम के पेड़ों पर यह ज्ञात करें कि आम फसल बहार आ रही है या नहीं, नीलाम सूचना से पूर्व कार्यालय को अवगत कराये।
8. सम्पादक अमर उजाला मेरठ को इस आशय के साथ कि उक्त नीलाम सूचना को अपने समाचार पत्र के आंगामी अंक में केवल एक बार न्यूनतम स्थान में व फाउन्ट 12 में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान की दो प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
9. पूर्व ठेकेदारों को सूचनार्थ।

1515
Dio, nic

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

04-6-2020

9-6-2020/10:40 AM